

प्रबंध निदेशक /सीईओ The Managing Director / CEO
समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक All Public Sector Bank

महोदया/ प्रिय महोदय Dear Sir/ Madam,

वित्तीय रूप से समृद्ध एनबीएफसीज / एचएफसीज के उच्च श्रेणी निर्धारित सामूहिक आस्तियों की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीज) को भारत सरकार द्वारा एक बारगी आंशिक क्रेडिट गारंटी (पीसीजी)
One-time Partial Credit Guarantee (PCG) by Government of India (GoI) to Public Sector Banks (PSBs) for purchase of *high-rated* pooled assets of financially sound NBFCs / HFCs

- जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार की अधिसूचना डीएफएस एफ.एन.ओ. 1/17/2019-BOA-II दिनांक 10 अगस्त, 2019 और 23 सितंबर, 2019 के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक रूप से 10% तक की पहली हानि के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य सुदृढ़ NBFCs / HFCs के अस्थायी परिसंपत्ति देयता संबन्धित समस्याओं का हल बिना NBFCs / HFCs को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री में कमी का सहारा लिए करना है।
As you are aware, Government of India, vide its notification DFS F.no. 1/17/2019-BOA-II dated August 10, 2019 and further dated September 23, 2019 has Issued detailed operational guidelines *for partial credit guarantee to Public Sector Banks for first loss of up to 10%*. The scheme aims to address temporary asset liability mismatches of otherwise solvent NBFCs/HFCs without having to resort to distress sale of their assets for meeting their commitments.
- सिडबी कार्यान्वयन एजेंसी है और गारंटी के निष्पादन के लिए बैंक प्रस्तावों के मूल्यांकन, लेनदेन का रिकॉर्ड रखने, गारंटी हेडरूम के निर्धारण, दावों की जांच और जिन खातों में गारंटी लागू की गई है उनके वसूली की निगरानी से संबंधित कार्य सिडबी को सौंपे गए हैं।
SIDBI is implementing agency and has been delegated the work related to evaluation of bank proposals for execution of guarantees, keeping record of transactions and determination of guarantee headroom, examination of claims and monitoring of recoveries in account for which guarantee has been invoked.
- पीसीबी द्वारा प्रस्ताव / सूचना प्रस्तुत करने के लिए योजना के तहत आवश्यक प्रारूप (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) संलग्न हैं।
Formats (approved by GoI) required under the scheme for submission of the proposals/Information by PSB's are enclosed.

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

स्वावलंबन भवन, सी-11, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. दूरभाष: +91 22 6753 1100 | फैक्स: +91 22 6722 1528

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Swavalamban Bhavan, C-11, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 6753 1100 | Fax: +91 22 6722 1528

Toll Free No.: 1800 22 6753

www.sidbi.in | www.udyamimitra.in

📧 sidbiofficial 📧 SIDBIOfficial 📧 sidbiofficial 📧 SIDBI(Small Industries Development Bank of India) 📧 SIDBI Official

4. इस संबंध में सभी संचार को कृपया दिए गए पते/ई-मेल पर प्रेषित करें।
All communications in this regard may please be addressed to:

महाप्रबंधक/The General Manager
एमएसएमई पारितंत्र विकास एवं समन्वय उदभाग /
MSME Ecosystem Development & Co-ordination Vertical
स्वावलंबन भवन/ Swavalamban Bhavan,
C-11, 'जी ब्लॉक'
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400051
फोन न.: 022-67221582
ई-मेल : medcv@sidbi.in

कृपया प्राप्ति-सूचना दें/ Meanwhile, please acknowledge receipt.

भवदीय,
ह/-
सुबोध कुमार
(महा प्रबन्धक)